न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–95/2020 (2020/00442) दर्ज दिनांक 04.09.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. रमेशचन्द्र पुत्र नाथू भील
2. मोहनलाल पुत्र नाथू भील
3. सुरेशचन्द्र पुत्र नाथू भील
   सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती उदी पत्नि स्वर्गीय पन्ना बलाई
2. किशोर पुत्र जालु बलाई
   सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मदनलाल जीनगर
अधिवक्ता विपक्षीगणः– श्री गणपत राणवा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–19.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गुढ़ा का खेड़ा पटवार हल्का भरकतहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 631रकबा 0.32 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.32 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 40पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर सीमा संबंधी विवाद का कोई प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया तथा निवेदन किया कि आराजी नं0 630 के 293/6 व 293/2 है जो हम विपक्षीगण को अलोटमेन्ट हुई थी और हमे मौके पर मौका पर्चा बना कर हमे कब्जा सिपुर्द किया गया था लेकिन राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से तत्कालीन राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नही की गई और तत्पश्चात् भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा भी मौके व रेकार्ड की कोई पुख्ता जांच किये विना अपनी कार्यवाही में [illegible] हुए हमे अलोट हुई जगह को भु–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान गुलाब व [illegible] सीमा के नाम दर्ज कर दी जबकि उन्हे जो आराजी अल[illegible] 293/6 थे जिसके नवीन संख्या 631 कायम किये गये [illegible] हमारे कब्जे शुदा स्था[illegible] जगह दर्शा दिया जिसके संबंध में हमारे द्वारा शुद्धिकरण [illegible]र्थना पत्र पेश कर रखा है। जिसके प्रकरण संख्या 15/2019 मु0 रे0 होकर जैर कार्यवाही है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—95 / 2020 (2020 / 00442)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया।प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार हैअतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुढ़ा का खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 631 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.32 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 40 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner